

श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान, शेलगी

बनाम

सुभाष मल्लिकार्जुन बिराजदार और अन्य

(सिविल अपील संख्या 5323 - 5324/2024)

25 अप्रैल 2024

[ए. एस बोपन्ना और संजय कुमार, न्यायमूर्तिगण]

### विचारणीय मुद्दा

क्या किसी सार्वजनिक न्यास के वाहीवतदार (प्रशासक) के संबंध में धारा 7 महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 (1950 अधिनियम) के तहत बनाए गए रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए परिवर्तन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी को माफ किया जा सकता है। इसके अलावा, परिवर्तन रिपोर्ट अधिनियम की धारा 22(1) 1950 के तहत 90 दिनों के निर्धारित समय से परे प्रस्तुत किए जाने का परिणाम है।

### शीर्ष टिप्पणियाँ

अपीलकर्ता को धारा के तहत एक सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत किया गया था। 1950 अधिनियम के 18 - प्रबंधक पद के उत्तराधिकार का तरीका यह था कि मल्लिकार्जुन महालिंगप्पा पाटिल को न्यास का वाहीवतदार होना था और उनके परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को उनका उत्तराधिकारी बनाना था - वाहीवतदार को दूसरों को सहयोजित करने का भी अधिकार था - धारा के तहत बनाए गए रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करने के लिए जगदीशचंद्र द्वारा प्रस्तुत पहली परिवर्तन रिपोर्ट। 1950 अधिनियम के 17 में देर से - पहली परिवर्तन रिपोर्ट को डिप्टी चैरिटी कमिश्नर द्वारा स्वीकार किया गया और कानूनी और वैध माना गया - जगदीशचंद्र ने चार अन्य व्यक्तियों को सहयोजित करके न्यासधारी के रूप में नियुक्त किया - धारा के तहत बनाए गए रजिस्टर में उक्त चार व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के लिए दूसरी परिवर्तन रिपोर्ट दायर की गई। 1950 अधिनियम के 17 - दूसरी परिवर्तन रिपोर्ट को सहायक धर्मार्थ आयुक्त द्वारा कानूनी माना गया - दोनों परिवर्तन रिपोर्टों को स्वीकार करने वाले आदेशों को चुनौती देने वाली अपील/संशोधन आवेदन खारिज कर दिए गए - दोनों परिवर्तन रिपोर्टों को स्वीकार करने और पुष्टि करने वाले आदेशों के खिलाफ दायर रिट याचिकाएं - उच्च न्यायालय द्वारा भी अनुमति दी गई क्योंकि उप चैरिटी आयुक्त द्वारा कोई अलग आदेश पारित नहीं किया गया, पहली परिवर्तन रिपोर्ट दाखिल करने में 17 साल से अधिक की देरी को धारा के विपरीत मानते हुए माफ कर दिया गया। 22 1950 अधिनियम - परिणामस्वरूप, दूसरी परिवर्तन रिपोर्ट कायम नहीं रह सकी।

**अभिनिर्धारित किया गया :** 1950 अधिनियम की धारा 22 को 2017 में संशोधित किया गया था जिसके तहत धारा में 1950 अधिनियम की धारा 22(1) का प्रावधान जोड़ा गया था जिसमें यदि पर्याप्त कारण दिखाया गया है तो परिवर्तन रिपोर्ट दाखिल करने में हुई देरी के लिए माफी का प्रावधान है – यह अनिवार्य नहीं है कि देरी की माफी के लिए लिखित आवेदन दायर किया जाए और मौखिक अनुरोध पर उस संबंध में राहत दी जा सकती है, बशर्ते कि इस तरह की देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया हो – अन्यथा भी, 2017 प्रावधान केवल प्रकृति में स्पष्टीकरणपूर्ण है – 1950 अधिनियम की धारा 22(1) में कहा गया है, जैसा कि पहले था, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 29(2) की प्रयोज्यता को नकारता नहीं है और परिणामस्वरूप, परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा 5, परिवर्तन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी को माफ करने के लिए लागू की जा सकती है – यदि परिवर्तन रिपोर्ट निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो 1950 अधिनियम ट्रस्ट के वाहिबतदार के रूप में कार्यालय की धारणा को स्वचालित रूप से अमान्य करने पर विचार नहीं करता है – परिवर्तन रिपोर्ट दाखिल करने में विफलता दंडात्मक परिणामों को आमंत्रित करेगी जो केवल प्रासंगिक प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न होगी – जब परिवर्तन रिपोर्ट दर्ज करने में विफलता अपने आप में घातक नहीं होगी, तो परिवर्तन दाखिल करने में देरी होगी रिपोर्ट किसी ट्रस्ट के वाहिबतदार द्वारा पद ग्रहण करने पर स्वचालित रूप से प्रभाव नहीं डाल सकती – प्रावधान एस में जोड़ा गया। 22(1) 1950 अधिनियम आगे इसी बात को इंगित करता है – देरी की माफी के लिए आवेदन से निपटते समय उदार, व्यावहारिक, न्याय-उन्मुख, गैर-पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए – अदालतें आमतौर पर दाखिल करने में देरी को माफ कर देती हैं क्योंकि इसका उद्देश्य न्याय को आगे बढ़ाना है। [पैरा 19-22, 25]

### उद्धृत न्याय निर्णय

भागमल एवं अन्य। बनाम कुँवर लाल और अन्य। [2010] 8 एससीआर 1104; [2010] 12 एससीसी 159; शेषनाथ सिंह एवं अन्य.

वी. बैद्यवती शेओराफुली सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य [2021]

3 एससीआर 806 : [2021] 7 एससीसी 313; ईशा

भट्टाचार्य बनाम रघुनाथपुर नफर अकादमी और अन्य की प्रबंध समिति। [2013] 9 एससीआर 782 : [2013] 12 एससीसी 649

– पर भरोसा किया गया

### अधिनियमों की सूची

बॉम्बे पब्लिक न्यास अधिनियम, 1950 (महाराष्ट्र पब्लिक न्यास अधिनियम, 1950); परिसीमा अधिनियम, 1963

## संकेतशब्दों की सूची

महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 – एस. 17 और एस. 22; देरी की माफ़ी; धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 परिवर्तन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी पर लागू; सुधार योग्य दोष परिवर्तन रिपोर्ट दाखिल करने में देरी; विलंब के कारण पद ग्रहण स्वतः अमान्य नहीं होगा।

## प्रकरण उद्धृत हुआ

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5323-5324/2024

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2019 को रिट याचिका संख्या 8570-8571/2019 में पारित निर्णय और आदेश से

## उपस्थिति पक्षकार

अपीलार्थी की ओर से श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभय अनिल अंतुरकर, ध्रुव टांक, नितिन हबीब, अनिरुद्ध अवलगांवकर, भगवंत देशपांडे, एम/एस डॉ. आर.आर. देशपांडे & एसोसिएट्स, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सुधांशु एस. चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. सेल्विन राजा, अधिवक्ता

## सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

### निर्णय

संजय कुमार, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान, शेल्गी, एक सार्वजनिक न्यास, के वहीवतदार (प्रशासक) और न्यासियों के संबंध में परिवर्तन रिपोर्ट की स्वीकृति विचारणीय मुद्दा है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने इस तरह की स्वीकृति को अमान्य कर दिया और मामलों को नए सिरे से विचार करने के लिए सोलापुर क्षेत्र के डिप्टी चैरिटी कमिश्नर प्रतिप्रेषित कर दिया। परिणामतः वर्तमान अपील उद्धृत।

3. हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था, हमें सूचित किया गया है कि इन मामलों के लंबित होने के कारण प्रतिप्रेषण के आदेशों पर कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, वाहिबतदार और न्यास, जिनके नाम पहले से ही रिकॉर्ड में दर्ज किए गए थे, आज भी न्यास का प्रशासन देख रहे हैं।
4. जहां तक प्रासंगिक है, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं: दिनांक 26.05.1952 के आवेदन द्वारा, मल्लिकार्जुन महालिंगप्पा पाटिल ने बॉम्बे पब्लिक न्यास अधिनियम, 1950, जिसे अब महाराष्ट्र पब्लिक न्यास अधिनियम, 1950 (संक्षिप्तता के लिए, '1950 का अधिनियम') के रूप में जाना जाता है, की धारा 18 के तहत एक सार्वजनिक न्यास के रूप में श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान, शेल्गी के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। इस न्यास का उद्देश्य शेल्गी, उत्तरी सोलापुर तालुका में स्थित श्री मल्लिकार्जुन मंदिर की देखभाल और रख-रखाव था। श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान, शेल्गी को तदनुसार एक सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्रबंधक और न्यासधारिता के उत्तराधिकार की प्रक्रिया जैसा कि आवेदन में दिया गया था, यह था कि मल्लिकार्जुन महालिंगप्पा पाटिल को न्यास का वाहिबतदार होना था और उनके परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को उनका उत्तराधिकारी बनना था। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो वाहिबतदार को दूसरों को सहयोजित करने का भी अधिकार दिया गया था। मल्लिकार्जुन महालिंगप्पा पाटिल का वर्ष 1992 में निधन हो गया और उनके सबसे बड़े बेटे, अशोक मल्लिकार्जुन पाटिल, न्यास के वाहिबतदार बने। इसके बाद, 16.02.1997 को अशोक मल्लिकार्जुन पाटिल की मृत्यु हो गई और उनके भाई, जगदीशचंद्र मल्लिकार्जुन पाटिल ने पदभार संभाला। जगदीशचंद्र मल्लिकार्जुन महालिंगप्पा पाटिल के तीसरे बेटे थे, लेकिन उनके बड़े भाई सतीश पाटिल जो मल्लिकार्जुन महालिंगप्पा पाटिल के दूसरे बेटे थे को न्यास के वाहिबतदार के रूप में कार्यभार संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार, जगदीशचंद्र ने वाहिबतदार की भूमिका निभाई, हालांकि वह परिवार में सबसे बड़े पुरुष सदस्य नहीं थे।
5. इस स्तर पर 1950 के अधिनियम के तहत प्राप्त वैधानिक योजना पर ध्यान देना उचित होगा। इसकी धारा 17 में कहा गया है कि, प्रत्येक सार्वजनिक न्यास पंजीकरण कार्यालय या संयुक्त सार्वजनिक न्यास पंजीकरण कार्यालय में, संबंधित उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त को ये बहियां, सूचकांक और अन्य रजिस्टर बनाने और रखने चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं। 1950 के अधिनियम की धारा 18 आवेदन पर सार्वजनिक न्यासों के पंजीकरण का प्रावधान करती है और उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है। धारा 19 संबंधित उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त को धारा 18 के तहत एक सार्वजनिक न्यास के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर जांच करने का अधिकार देती है। 1950 के अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है कि, ऐसी जांच के पूरा होने पर, उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त अपने निष्कर्ष को उसके कारणों के साथ दर्ज करेगा और यदि वह संतुष्ट है, तो पंजीकरण शुल्क के भुगतान का आदेश देगा। धारा 21(1) के लिए उप या

सहायक धर्मार्थ आयुक्त को धारा 17 के तहत बनाए गए रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने की आवश्यकता होती है। धारा 21(2) में प्रावधान है कि इस प्रकार की गई प्रविष्टियाँ, 1950 के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और उसके प्रावधानों के अनुसार दर्ज किए गए किसी भी परिवर्तन के अधीन, अंतिम और निर्णायक होंगी।

6. 1950 के अधिनियम की धारा 22(1), जो 2017 से पहले थी, में कहा गया है कि जहां धारा 17 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किसी भी प्रविष्टि में कोई परिवर्तन होता है, तो न्यासधारी इस तरह के परिवर्तन की तारीख से 90 दिन के भीतर पंजीकरण कार्यालय के प्रभारी उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त को इसकी रिपोर्ट करें जहां रजिस्टर रखा गया है। धारा 22(2) उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त को प्रविष्टियों की सत्यता की पुष्टि करने या धारा 17 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज किसी भी विवरण में कोई बदलाव हुआ है या नहीं यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जांच करने का अधिकार देता है। *नियम* धारा 22(2) में कहा गया है कि, न्यासधारियों और प्रबंधकों आदि के नाम और पते में परिवर्तन के मामले में, उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त अस्थायी रूप से परिवर्तन को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसे परिवर्तन पर आपत्तियां आमंत्रित करते हुए एक नोटिस जारी कर सकते हैं। दूसरे *नियम* में कहा गया है कि यदि उस समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो परिवर्तन को अंतिम रूप से स्वीकार करने वाला आदेश अंतिम हो जाएगा और उसकी प्रविष्टि धारा 17 के तहत रखे गए रजिस्टर में की जाएगी। *नियम* में कहा गया है कि यदि तीस दिनों के भीतर आपत्तियां प्राप्त होती हैं, तो उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त निर्धारित तरीके से जांच कर सकते हैं और आपत्तियां दर्ज करने की तारीख से तीन महीने के भीतर निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।
7. 1950 के अधिनियम की धारा 22(3) बताती है कि कैसे उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त को पूर्वोक्त जांच पूरी करने के बाद एक निष्कर्ष को रिकॉर्ड करना है, जिसमें परिवर्तन के कारण न्यास का नाम रजिस्टर से हटाने का निर्णय शामिल हो सकता है। इसके अलावा, यह प्रावधान करता है कि दर्ज किए गए निष्कर्ष धर्मार्थ आयुक्त के समक्ष अपील योग्य होंगे। इसमें कहा गया है कि उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त अपने निष्कर्ष के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टियों को संशोधित या हटा देगा, और यदि सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय के अनुसार, ऐसे निष्कर्ष के खिलाफ अपील या आवेदन किए गए थे और इस प्रकार की गई प्रविष्टियों में संशोधन किसी परिवर्तन की घटना या प्रविष्टियों के रद्द होने पर किसी भी अन्य संशोधन के अधीन अंतिम और निर्णायक होगा। धारा 41 डी में धर्मार्थ आयुक्त द्वारा ट्रस्टियों के निलंबन, निष्कासन या बर्खास्तगी का प्रावधान है, यदि इसमें उल्लिखित कोई भी आधार संतुष्ट है। ऐसी शक्ति का प्रयोग न्यासधारी या न्यास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर किया जा सकता है और न्यास के खिलाफ की जाने वाली ऐसी कार्रवाई का एक आधार न्यास के संबंध में अपने कर्तव्य की निरंतर उपेक्षा या विश्वास का उल्लंघन है।

8. धारा 70 में उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त के निष्कर्षों या आदेशों के खिलाफ धर्मार्थ आयुक्त के समक्ष धारा 70(1)(ए) से 70(1)(ई) के तहत परिगणित मामलों में अपील करने का प्रावधान है। धारा 70(1)(बी) धारा 22 के तहत निष्कर्षों से संबंधित है। इसके अलावा, 1950 के अधिनियम की धारा 70 ए(1) धर्मार्थ आयुक्त को धारा 70 में उल्लिखित किसी उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त के समक्ष किसी भी मामले के अभिलेख और कार्यवाही को स्वप्रेरणा से या आवेदन पर मंगाने और जांच करने का अधिकार देती है, जिसका उद्देश्य उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त द्वारा दर्ज या पारित किसी निष्कर्ष या आदेश की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना है। उल्लेखनीय है कि 1950 के अधिनियम को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत धारा 22(1) में एक प्रावधान जोड़ा गया था। इस प्रावधान में कहा गया है कि उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त, परिवर्तन की सूचना देने के लिए 90 दिन की अवधि को बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि वे इस बात से संतुष्ट हों कि निर्धारित अवधि के भीतर परिवर्तन की सूचना न देने के लिए पर्याप्त कारण था, बशर्ते कि सूचना देने वाले ट्रस्टी द्वारा सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि में लागत का भुगतान किया जाए।
9. उपरोक्त वैधानिक स्थिति को देखते हुए, जगदीशचंद्र के लिए यह आवश्यक था कि वे निर्धारित 90 दिनों के भीतर परिवर्तन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, लेकिन उन्होंने ऐसा काफी समय बाद 21.10.2015 को किया। उन्होंने इसके साथ ही विलम्ब के लिए माफी आवेदन भी दायर किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने गलती से परिवर्तन रिपोर्ट पहले दाखिल नहीं की थी, क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। उनकी रिपोर्ट को परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 899/2015 के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया। उप धर्मार्थ आयुक्त, सोलापुर द्वारा दिनांक 15.03.2016 को निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की थी, परिवर्तन रिपोर्ट को कानूनी और वैध माना गया। परिणामस्वरूप, न्यास से संबंधित अनुसूची 1 को अपील अवधि समाप्त होने के बाद संशोधित करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, इस अवधि के भीतर इस निर्णय के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई।
10. इसके बाद, जगदीशचंद्र ने 28.03.2017 को चार अन्य व्यक्तियों, केदार पाटिल, शैलेश पाटिल, विश्वजीत विराजकुमार नंदीमथ और बालासाहेब येलशेटी को सहयोजित करके न्यासधारी के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने 1950 के अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में उनके नाम दर्ज करने के लिए परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 1177/2017 दायर की।
11. जबकि, पांच व्यक्तियों, सुभाष मल्लिकार्जुन बिराजदार, अभिजीत प्रकाश बिराजदार, कल्याणी मल्लप्पा बिराजदार, सचिन शिवानंद बिराजदार और केदार शिवन्ना बिराजदार ने शेल्गी में श्री मल्लिकार्जुन मंदिर के भक्त होने का दावा करते हुए, 1950 के अधिनियम की धारा 70 ए के तहत संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त, पुणे के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जो कि परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 899/2015 को स्वीकार करते हुए, सोलापुर के उप धर्मार्थ आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 15.03.2016 के निर्णय के विरुद्ध था। इसे पुनरीक्षण

आवेदन संख्या 61/2017 के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया। इसमें इन पांचों भक्तों ने जगदीशचंद्र की उक्त न्यास के वहीवतदार होने की योग्यता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने 'गैरकानूनी तरीके से, बिना किसी तरह का संबंध रखते हुए, ग्रामीणों, समाज के साथ-साथ माननीय न्यायालय को धोखा देकर और गुमराह करके, परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 899/2015 दाखिल की और मंजूरी प्राप्त की'। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उप धर्मार्थ आयुक्त ने परिवर्तन रिपोर्ट पर उचित जांच नहीं की थी। उनके अनुसार, अशोक मल्लिकार्जुन पाटिल की मृत्यु के बाद न्यास का कामकाज गांव वालों द्वारा संभाला जा रहा था और वे पूजा-पाठ और अन्य कार्यक्रमों की देखरेख कर रहे थे तथा जगदीशचंद्र सिर्फ मंदिर की देखरेख कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने उनकी ओर से की गई देरी को चुनौती का आधार नहीं बनाया।

12. हालांकि, जगदीशचंद्र ने पुनरीक्षण में एक आवेदन दायर किया जिसमें बताया गया कि उन्होंने परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 899/2015 को दाखिल करने के संबंध में विलंब क्षमा आवेदन दायर किया था और इसके लंबित रहने से उनके कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने प्रार्थना की कि पुनरीक्षण लंबित रहने तक उक्त आवेदन के संबंध में सोलापुर के उप धर्मार्थ आयुक्त से निष्कर्ष मांगा जाए। 29.01.2019 के आदेश द्वारा, संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त, पुणे ने माना कि परिवर्तन रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी, जिसका अर्थ था कि देरी को माफ कर दिया गया था, और देरी माफी आवेदन पर निष्कर्ष मांगना आवश्यक नहीं था।
13. इसके बाद, संयुक्त धर्मार्थ कमिश्नर, पुणे ने पांच भक्तों द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन संख्या 61/2017 को दिनांक 09.07.2019 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। इसमें संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त ने पाया कि जगदीशचंद्र मल्लिकार्जुन महालिंगप्पा पाटिल के पुत्र थे, जिनके आदेश पर पब्लिक न्यास पंजीकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि जगदीशचंद्र तीसरे पुत्र थे और सतीश सहित अन्य चार पुत्रों ने, जो जगदीशचंद्र से बड़े थे, हलफनामे दायर कर कहा था कि वे न्यासधारी के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए सहमति देते हैं। संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त ने यह भी उल्लेख किया कि पुनरीक्षण आवेदक मल्लिकार्जुन महालिंगप्पा पाटिल के परिवार के सदस्य नहीं थे और उनका अन्य पुनरीक्षण, पुनरीक्षण आवेदन संख्या 60/2017, जिसमें ट्रस्ट के पंजीकरण से संबंधित जांच आवेदन संख्या 25/1952 में पारित दिनांक 17.06.1954 के आदेश को चुनौती दी गई थी, को पहले ही 10.10.2017 को खारिज कर दिया गया था।
14. इस बीच, जगदीशचंद्र द्वारा चार ट्रस्टियों के सह-चयन से संबंधित परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 1177/2017 के संबंध में, सहायक चैरिटी आयुक्त, सोलापुर ने दिनांक 18.04.2018 को निर्णय सुनाया। इसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि मंदिर के कुछ भक्तों ने उक्त रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज की थीं, तथापि उन्होंने अंततः यह माना कि परिवर्तन रिपोर्ट कानूनी और स्वीकार्य थी। परिवर्तन रिपोर्ट के विरोधियों ने तर्क दिया था कि जगदीशचंद्र मल्लिकार्जुन महालिंगप्पा पाटिल के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, लेकिन सहायक धर्मार्थ आयुक्त ने उल्लेख किया कि सबसे बड़े पुत्र अशोक मल्लिकार्जुन पाटिल की

निःसंतान मृत्यु हो गई थी और दूसरे पुत्र सतीश ने न्यास में कोई रुचि नहीं होने का दावा किया था। इसके अलावा, सहायक धर्मार्थ आयुक्त ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि संबंधित न्यास के पंजीकरण के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त, पुणे द्वारा खारिज कर दिया गया था। तदनुसार, सहायक धर्मार्थ आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला कि परिवर्तन रिपोर्ट स्वीकार्य है, जो कि संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त, पुणे के समक्ष लंबित परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 899/2015 के संबंध में निर्णय के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण में निर्णय के अधीन है।

15. इस फैसले से व्यथित होकर, दो भक्तों, शिवशंकर रेवांसिधा बिराजदार और प्रकाश सांगप्पा बिराजदार ने 1950 के अधिनियम की धारा 70 के तहत संयुक्त चैरिटी आयुक्त, पुणे के समक्ष अपील संख्या 79/2018 दायर की। उक्त अपील को संयुक्त चैरिटी आयुक्त, पुणे द्वारा दिनांक 09.07.2019 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसमें, संयुक्त चैरिटी कमिश्नर ने माना कि चूंकि 2015 की परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 899 से संबंधित पुनरीक्षण आवेदन संख्या 61/2017 को उस दिन एक अलग फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था, इसलिए जगदीशचंद्र को संबंधित न्यास के वहीवतदार के रूप में पुष्टि की गई और इसलिए, उन्हें न्यासधारियों को सहयोजित किए जाने का अधिकार था।
16. परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 899/2015 के संबंध में विद्वान उप धर्मार्थ आयुक्त, सोलापुर द्वारा पारित दिनांक 15.03.2016 के निर्णय को आरोपित करते हुए, दिनांक 09.07.2019 के निर्णय द्वारा उनके पुनरीक्षण आवेदन संख्या 61/2017 को खारिज करने का विरोध करते हुए, पांच भक्तों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू.पी. संख्या 8570/2019 दायर किया। इसमें पहली बार उन्होंने 16.02.1997 को अशोक मल्लिकार्जुन पाटिल की मृत्यु के बाद जगदीशचंद्र की ओर से परिवर्तन रिपोर्ट दाखिल करने में 17 वर्षों से अधिक की देरी का आधार बनाया।
17. संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त, पुणे द्वारा पारित दिनांक 09.07.2019 के निर्णय द्वारा उनकी अपील संख्या 79/2018 की बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए, जिसमें परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 1177/2017 के संबंध में सहायक धर्मार्थ आयुक्त, सोलापुर द्वारा पारित दिनांक 18.04.2018 के निर्णय की पुष्टि की गई थी, दोनों भक्तों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू.पी. संख्या 8571/2019 दायर की।
18. दिनांक 27.08.2019 को साझा निर्णय द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने दोनों रिट याचिकाओं को अनुमति दे दी। विद्वान न्यायाधीश को इस बात पर विचार करना पड़ा कि प्रथम परिवर्तन रिपोर्ट दाखिल करने में 17 वर्षों से अधिक की देरी को क्षमा करने के लिए उप धर्मार्थ आयुक्त, सोलापुर द्वारा कोई अलग आदेश पारित नहीं किया गया था। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, यह 1950 के अधिनियम की धारा 22 के विपरीत था। उन्होंने तदनुसार माना कि परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 899/2015 के तहत जगदीशचंद्र को वहीवतदार के रूप में स्वीकार करना संवहनीय नहीं माना जा सकता और परिणामस्वरूप, उनकी परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 1177/2017 भी संघाय

नहीं रखी जा सकती। इस एकमात्र आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने दोनों परिवर्तन रिपोर्टों से संबंधित कार्यवाही को फाइल में बहाल कर दिया और उप धर्मार्थ आयुक्त, सोलापुर को उन्हें नए सिरे से तय करने का निर्देश दिया। विद्वान न्यायाधीश ने आगे निर्देश दिया कि उस तिथि तक विद्यमान स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए, अर्थात्, जगदीशचंद्र और उनके नामित न्यासधारी, जो न्यास का प्रशासन कर रहे थे, को कानून के अनुसार न्यास का प्रशासन जारी रखने की अनुमति दी गई।

19. इससे पहले कि हम मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करें, हम फिर से इस तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं कि 1950 के अधिनियम को 2017 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत धारा 22(1) में एक प्रावधान जोड़ा गया था, जिसमें परिवर्तन रिपोर्ट दाखिल करने में देरी को माफ करने का प्रावधान है, यदि इसके लिए पर्याप्त कारण बताए गए हों। यह ध्यान देने योग्य है कि जगदीशचंद्र द्वारा परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 899/2015 प्रस्तुत किए जाने के समय ऐसा कोई प्रावधान अस्तित्व में नहीं था। इसके बावजूद, उन्होंने रिपोर्ट दाखिल करने में अपनी ओर से हुई देरी को माफ करने की प्रार्थना करते हुए एक विलम्ब क्षमा आवेदन दायर किया था। यह सुस्थापित है कि यह अनिवार्य नहीं है कि देरी के लिए माफी मांगने के लिए लिखित आवेदन दायर किया जाए और मौखिक अनुरोध पर भी इस संबंध में राहत दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसी देरी के लिए पर्याप्त कारण बताए जाएं [भागमल और अन्य बनाम कुंवर लाल और अन्य<sup>1</sup> और शेष नाथ सिंह और अन्य बनाम बैद्यवती शेओराफुली सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य<sup>2</sup> देखें]।
20. वर्ष 2017 में धारा 22(1) में जोड़ा गया प्रावधान केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसे धारा 22(1) में 'जोड़ा' गया था और इससे कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अभाव में भी, 1950 के अधिनियम की धारा 22(1) के शब्दांकन, जैसा कि पहले था, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) की प्रयोज्यता को अस्वीकार नहीं करता था, और परिणामस्वरूप, परिवर्तन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए क्षमा हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 को लागू किया जा सकता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय ने यह सत्यापित करने के लिए मूल फाइल नहीं मांगी कि क्या सोलापुर के उप धर्मार्थ आयुक्त ने विलंब माफी आवेदन पर अलग से कोई आदेश पारित किया था, जिसमें ऐसी शक्ति के प्रयोग में हुई देरी को माफ किया गया था। यद्यपि, संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त, पुणे ने यह समझकर कार्यवाही आगे बढ़ाई कि देरी को पहले ही माफ कर दिया गया है। उन्होंने 29.01.2019 को इस आशय का आदेश पारित किया और उस आदेश को आवेदकों अर्थात् बिराजदार परिवार द्वारा पुनरीक्षण आवेदन संख्या 61/2017 में कभी चुनौती नहीं दी गई। एक बार जब आदेश अंतिम हो गया तो उनके लिए उसे नजरअंदाज करना तथा उच्च न्यायालय के समक्ष विलंब के मुद्दे को पुनः खोलना संभव नहीं है। इससे भी अधिक, जब उनके द्वारा पुनरीक्षण आवेदन संख्या 61/2017 में देरी का मुद्दा कभी नहीं

1 [2010] 8 एससीआर 1104 : (2010) 12 एससीसी 159

2 [2021] 3 एस.सी.आर. 806 : (2021) 7 एससीसी 313

उठाया गया था और केवल उसमें पारित निर्णय के खिलाफ दायर रिट याचिका में पहली बार उठाया गया था।

21. इसके अलावा, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवर्तन रिपोर्ट को विलंब से प्रस्तुत करने का क्या परिणाम होगा। यदि कोई नया वहीवतदार किसी न्यास का कार्यभार संभालता है और, किसी भी कारण से, वह 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर परिवर्तन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो इसका क्या परिणाम होगा? 1950 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी स्थिति में न्यास के वहीवतदार के रूप में उनका कार्यभार ग्रहण करना स्वतः ही अवैध नहीं हो जाता। एक बार जब कोई न्यास 1950 के अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत हो जाता है, तो संबंधित प्राधिकारियों का यह वैधानिक कर्तव्य हो जाता है कि वे ऐसे न्यास के संबंध में उचित अभिलेख बनाए रखें, जिसमें उसके प्रशासकों और न्यासधारियों का विवरण भी शामिल हो। इस संबंध में परिवर्तन रिपोर्ट सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद रिकॉर्ड को समय पर अद्यतन करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष दायर की जानी चाहिए, क्योंकि कानून में परिवर्तन रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्तियां उठाने का प्रावधान है। ऐसा करने में देरी या विफलता का अर्थ होगा कि रिकॉर्ड शीघ्रता से अद्यतन नहीं हो सकेंगे। न्यास में किसी भी परिवर्तन पर आपत्ति करने वाले, यदि कोई हों, तो वे 1950 के अधिनियम के तहत दिए गए उपायों का सहारा ले सकते हैं, तथा परिवर्तन रिपोर्ट दाखिल करने में विफलता या देरी तथा ऐसे परिवर्तनों के प्रतिकूल परिणामों, यदि कोई हों, की शिकायत कर सकते हैं।
22. उल्लेखनीय है कि वैधानिक योजना के अनुसार, परिवर्तन रिपोर्ट दाखिल करने में विफलता के लिए 1950 के अधिनियम की धारा 66 के तहत दंडात्मक परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें प्रावधान है कि जो कोई भी धारा 22 का उल्लंघन करता है और परिवर्तन की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, उसे ₹10,000/- का जुर्माना देना होगा। ऐसा करने में लगातार विफलता से अधिक प्रतिकूल परिणाम सामने आ सकते हैं, जैसा कि 1950 के अधिनियम में प्रावधान है, लेकिन ऐसे परिणाम संबंधित प्रावधानों के तहत संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों से निकलेंगे तथा ऐसी विफलता से स्वतः उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए, जब परिवर्तन रिपोर्ट दाखिल करने में विफलता अपने आप में घातक नहीं होगी, तो परिवर्तन रिपोर्ट दाखिल करने में देरी से न्यास के वहीवतदार द्वारा पदभार ग्रहण करने पर स्वतः प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यह तथ्य कि 1950 के अधिनियम की धारा 22(1) में एक प्रावधान जोड़ा गया था, जो संबंधित प्राधिकारी को परिवर्तन रिपोर्ट दाखिल करने में देरी को माफ करने में सक्षम बनाता है, यदि पर्याप्त कारण बताए गए हों, तो यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ऐसी देरी ठीक की जा सकती है और परिवर्तन रिपोर्ट दाखिल करने में देरी, अपने आप में, न्यास में उन परिवर्तनों को अस्वीकार या रद्द करने का अर्थ नहीं रखती है, जिनके बारे में प्राधिकारियों को देरी से सूचित किया जाना चाहा गया है। ईशा भट्टाचार्य बनाम रघुनाथपुर नफर अकादमी की प्रबंध समिति एवं अन्य<sup>3</sup> मामले में इस न्यायालय ने कहा कि विलम्ब की

3 [2013] 9 एस.सी.आर. 782 : (2013) 12 एससीसी 649

- क्षमा के लिए आवेदन पर विचार करते समय उदार, व्यावहारिक, न्यायोन्मुख, गैर-पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे अन्याय को वैध बनाएं, बल्कि अन्याय को दूर करने के लिए बाध्य हैं।
23. इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी भक्त, जिनका पारिवारिक नाम 'बिराजदार' है, जो आपत्ति उठा रहे हैं, उन्हें संबंधित न्यास के पंजीकरण से ही शिकायत है, लेकिन इस संबंध में उनका पुनरीक्षण खारिज कर दिया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अंतिम निर्णय ले लिया है। इस तरह की बर्खास्तगी के बाद, मंदिर के भक्त होने की हैसियत से, उन्हें न्यास के वहीवतदार के पद के उत्तराधिकार के संबंध में कोई वैध शिकायत नहीं हो सकती। खासकर तब, जब संस्थापक के परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को इससे कोई समस्या नहीं है।
24. यद्यपि भक्तों की ओर से हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि न्यास मंदिर की उचित देखभाल नहीं कर रहा है, हमारा मत है कि ऐसा मुद्दा उनके लिए वहीवतदार और संबंधित न्यास के न्यासधारियों से संबंधित परिवर्तन रिपोर्ट को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकता। 1950 के अधिनियम में ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए अलग तंत्र उपलब्ध कराया गया है तथा यदि उन्हें सलाह दी जाए तो ऐसे वैधानिक उपायों का सहारा लेना उनका काम है। न्यास के नए प्रशासन द्वारा कार्यभार संभालने से संबंधित परिवर्तन रिपोर्ट पर हमला करने के उनके बार-बार प्रयास केवल उनके और संस्थापक मल्लिकार्जुन महालिंगप्पा पाटिल के परिवार के प्रति उनके शत्रुतापूर्ण रवैये को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर, बेकार की बातें!
25. इस प्रकार, हमारा विचार है कि बम्बई उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने प्रथम परिवर्तन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को इतना महत्व देकर एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है। इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सका क्योंकि यह एक उपचार योग्य दोष था। किसी भी स्थिति में, इससे उस परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो संबंधित न्यास में लाया गया था, लेकिन जिसकी सूचना प्राधिकारियों को देर से दी गई थी।
26. इसलिए, रिट याचिका संख्या 8570 और 8571/2019 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27.08.2019 के सामान्य निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार उसे रद्द किया जाता है।
- परिणामस्वरूप, परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 899/2015 और 1177/2017 की स्वीकृति की पुष्टि की जाती है।
- दोनों सिविल अपीलों को अनुमति दी जाती है।
- यदि कोई लंबित आवेदन है तो उनको निराकृत माना जाएगा।
- पक्षों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

शीर्ष टिप्पणियाँ आंद्रिता देब (अवैतनिक), एसोसिएट एडीटर द्वारा तैयार की गयी।  
(सत्यापित: अभिनव मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता)

मामले का परिणाम: अपील को अनुमति प्रदान की गई।

#### अस्वीकरण

“इस निर्णय का अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की सहायता से किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और किर्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”